[2022] 7 एस. सी. आर. 138

कंचन कुमारी

बनाम्

बिहार राज्य और अन्य (आपराधिक अपील सं. 1031/2022)

25 जुलाई, 2022

[के. एम. जोसेफ और हृषिकेश रॉय, न्यायाधीशगण]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 : धारा 438 - उच्च न्यायालय द्वारा दूसरे प्रतिवादी को अग्रिम जमानत दी गई, हालांकि प्रतिकूल तीसरे पक्ष के खिलाफ पारित निर्देश - तत्काल मामले में, दूसरे प्रतिवादी ने भारतीय दंड संहिता की उप धारा 406, 420, 467 और 468 के तहत अपराधों के लिए अग्रिम जमानत की माँग करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 438 के तहत तक आवेदन दायर किया। उच्च न्यायालय ने उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए प्राधिकरण को अपीलार्थी को दिए गए प्रतिनिधि का अनुज्ञप्ति रद्द करने और बिहार या कहीं और प्रतिनिधि के रूप में काम करने की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया - इस तरह के आकस्मिक निर्देश का औचित्य – आयोजितः उच्च न्यायालय आवेदन धारा 438 के निपटारे के लिए आवश्यकता से परे चला गया। इसने तीसरे पक्ष के खिलाफ आकस्मिक निर्देश पारित किया - ऐसा अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी किए बिना ही ऐसा आकस्मिक निर्देश स्पष्ट रूप से अनुचित था - निर्देश का प्रतिकूल प्रभाव अपीलार्थी की आजीविका पर पड़ता है - उच्च न्यायालय के आदेश के निर्देश को निरस्त करके संशोधित किया गया।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील सं. 1031/2022

आपराधिक विविध सं. 55125/2021 में उच्च न्यायालय पटना के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 27.04.2022 से।

सोमेश चंद्र झा, परवेज आलम, अपीलार्थी के लिए अधिवक्तागण।

मनीष कुमार, हर्ष चौधरी, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्तागण।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

अनुमति दी गई।

दूसरे प्रत्यर्थी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406,420,467 और 468 के तहत दर्ज अपराधों के लिए 2021 के पीरबाहोर थाना केस नंबर 174 के संबंध में अग्रिम जमानत के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 438 के तहत एक आवेदन दायर किया। आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत उक्त आवेदन को स्वीकार करना उचित पाया है। निम्नलिखित निर्देश हैं जिनके कारण अपीलार्थी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद १३६ के तहत एक याचिका के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटायाः

> "डाकघर, बांकीपुर के वरिष्ठ अधीक्षक को कंचन कुमारी को दिए गए एजेंट के लाइसेंस/प्राधिकार को रद्द करने का निर्देश दिया जाता है और डाकघर का एजेंट होने के कारण उन्हें बिहार या कहीं और एजेंट के रूप में काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।"

हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील और प्रतिवादी राज्य के विद्वान वकील को सुना है।

अपीलार्थी के विद्वान वकील तर्क देंगे कि उच्च न्यायालय ने कथित निर्देश पारित करने में स्पष्ट रूप से गलती की है, जो अकेले इस न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय है। कथित

निर्देश के आधार पर, अपीलार्थी, जो उच्च न्यायालय के समक्ष एक पक्षकार नहीं था, अपीलार्थी के मामले में गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव डाला गया है। उच्च न्यायालय ने उक्त निर्देश जारी किए जाने से पहले कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया था। यह उनका मामला है कि उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह अपीलकर्ता को उसके जीवनकाल के लिए ब्लैकलिस्ट करने के बराबर है और वह भी बिना कोई कारण बताए। अपीलार्थी ऐसे प्रतिकूल आदेश पारित करने के लिए न्यायालय की क्षमता का खंडन करेगा जिसमें अपीलार्थी भी एक पक्षकार नहीं है और बिना कोई नोटिस जारी किए और जब मामला किसी व्यक्ति द्वारा अग्रिम जमानत की मांग करने वाले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत एक आवेदन से उठा हो।

अपीलार्थी सुमित मेहता बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य (2013) 15 एस. सी. सी. 570 में रिपोर्ट किए गए निर्णय में इस न्यायालय के विचार की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। दूसरे शब्दों में, मामला यह प्रतीत होता है कि शर्तें न्यायालय के समक्ष वाद की व्याप्ति के लिए उपयुक्त, प्रासंगिक, युक्तियुक्त और प्रासंगिक होनी चाहिए.अदालत के समक्ष मुकदमा इस सवाल के इर्द-गिर्द घूमता था कि क्या आवेदक ने कोई मामला बनाया था अग्रिम जमानत की मंजूरी के लिए प्रत्यर्थी राज्य के विद्वत अधिवक्ता ने बहुत ही उचित रूप से यह इंगित किया कि जहां तक विधिक स्थिति का संबंध है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन आवेदन पर विचार करने वाले न्यायालय को अपने आप को अपने समक्ष के मुद्दे अर्थात इस बारे में कि क्या आवेदक ने अग्रिम जमानत की मंजूरी के लिए कोई मामला बनाया है या नहीं।

हम आश्वस्त हैं कि उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत आवेदन के निष्पादन के लिए जो आवश्यक था, उससे आगे निकल गया है। यह किसी तीसरे पक्ष को प्रभावित करने वाली अनिवार्य दिशा है। निर्देश का प्रतिकूल प्रभाव अपीलार्थी की आजीविका पर पड़ता है.इसके अपीलकर्ता के लिए दीवानी परिणाम भी हैं। इस तरह का अनिवार्य निर्देश और वह भी, यहां तक कि अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी किए बिना, स्पष्ट रूप से अनुचित था। इसलिए, हमारा विचार है कि अपीलार्थी को सफल होना चाहिए। अपील

इस हद तक अनुज्ञात की जाती है कि आक्षेपित आदेश उस निदेश को, जो हमने इसमें ऊपर उद्धृत किया है, रिक्त करके संशोधित हो जाएगा। अपील को उपरोक्त के अनुसार अनुमति दी जाती है।

(के. एम. जोसेफ, न्यायमूर्ति)

[ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति]

नई दिल्ली

25 जुलाई, 2022

खण्डन (डिस्क्लेमर) :– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।

आइटम नंबर 29 कोर्ट नंबर 8 सेक्शन II-A

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

कार्यवाही का अभिलेख

अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिकाएं (सीआरएल) सं. 6436/2022

(पटना में न्यायिक उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार द्वारा पारित सीआरएलएम संख्या 55125/2021 में दिनांक 27-04-2022 के आक्षेपित अंतिम निर्णय और आदेश से उत्पन्न)

कंचन कुमार याचिकाकर्ता (ओं)

बनाम

बिहार राज्य और अन्य प्रतिवादी (ओं)

(आईए नंबर 79642/2022-फाइलिंग ओ. टी. से छूट के साथ)

तिथि:25-07-2022 इस मामले को आज सुनवाई के लिए बुलाया गया था।

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री के. एम. जोसेफ

माननीय न्यायमूर्ति श्री ऋषिकेश रॉय

याचिकाकर्ताओं के लिए श्री सोमेश चंद्र झा, ए.ओ.आर.

श्री परवेज आलम, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए श्री मनीष कुमार, ए.ओ.आर.

श्री हर्ष चौधरी, अधिवक्ता

वकील को सुनने के बाद न्यायालय ने यह आदेश दिया।

अनुमति दी गई।

रिपोर्ट करने योग्य हस्ताक्षरित आदेश के संदर्भ में अपील की अनुमति है।

लंबित आवेदन का निपटारा कर दिया गया है।

(निधि आहूजा) (रेणु कपूर)

एआर-सह-पीएस सहायक निबंधक

[रिपोर्ट योग्य हस्ताक्षरित आदेश फाइल पर रखा गया है।]